दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

(हिन्दी सारांश)

प्रायोजक:

डेनिश एसोसिएशन ऑफ दि ब्लाइंड

(Danish Association of the Blind)

प्रकाशक:

ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड

(All India Confederation of the Blind)

2020

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

सारांश

केन्द्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को 19 अप्रैल, 2017 से देशभर में लागू कर दिया है। अधिनियम में 21 विकलांगताओं को मान्यता दी गयी है और इसमें 17 अध्याय, 102 अनुभाग (Section) और 1 अनुसूची है। अधिनियम के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के लिए विविध अधिकारों और सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

(1) नागरिक और राजनैतिक अधिकार--अनुभाग 3 से 15

1. समानता का अधिकार एवं विकलांगता के आधार पर भेदभाव का निषेध:

- सम्बद्ध सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों की भाँति, समानता के आधार पर, सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का उपभोग कर पाएं।
- इसके लिए सरकार समुचित वातावरण प्रदान करेगी, जिससे दिव्यांगजनों की क्षमता का उपयोग हो सके।
- कोई भी व्यक्ति केवल दिव्यांगता के आधार पर अपनी वैयक्तिक स्वतन्त्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।
- सरकार दिव्यांगजनों को नि:शुल्क उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।
- किसी भी व्यक्ति के साथ दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

- सभी सम्बद्ध सरकारें दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करेंगी कि वे दूसरों की ही भाँति अपने सभी अधिकारों का समुचित उपयोग कर सकें और उन्हें अपने से सम्बन्धित सभी विषयों पर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार प्रस्तुत करने और सहायता प्राप्त करने का अधिकार हो।
- दिव्यांगजनोंं को भी समुदाय में जीने का अधिकार होगा एवं उन्हेंं किसी विशिष्ट अथवा अलग व्यवस्था में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य नही किया जाएगा।

2. क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षण:

- सम्बद्ध सरकार दिव्यांगजनोंं कोे उनके साथ होने वाली क्रूरताओं, प्रताड़ना व अमानवीय व्यवहार से संरक्षण प्रदान करेगी।
- कोई भी दिव्यांगजन अपनी खुद की इच्छा और स्वीकृति के बिना किसी भी शोध का विषय नहीं बनाया जाएगा और ऐसे शोध के संचालन के लिए दिव्यांगता पर अनुसन्धान के लिए गठित राज्य समिति से इसकी पूर्व अनुमति ली जानी होगी।

3. दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षण:

- कोई भी व्यक्ति या पंजीकृत संगठन, जिसे दिव्यांगजन के विरुद्ध दुर्व्यवहार, हिंसा या शोषण का पता चले या ऐसा होने की सम्भावना की जानकारी हो तो वह तुरन्त इसके बारे में क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जानकारी दे सकता है।

- कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट पर तुरन्त कार्यवाही कर घटना को या उसके होने की सम्भावना को रोकने के लिए उपाय करेगा और दिव्यांगजन की सुरक्षा, पुनर्वास, भरण-पोषण आदि हेतु उचित आदेश पारित करेगा।

4. संरक्षण और सुरक्षा:

- दिव्यांगजनों को जोखिम एवं सशस्त्र संघर्ष तथा मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति मेंं दूसरों के समान संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी।
- जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिलावार दिव्यांग व्यक्तियों के विवरण का रिकॉर्ड तैयार रखेगा और जोखिम की किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को समय रहते सूचित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा।
- आपदा की स्थिति के पश्चात् पुनर्निर्माण कार्यकलापों में, राज्य के विकलांग आयुक्त के परामर्शानुसार यह प्राधिकरण सम्बद्ध दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त सुगम्यता सुनिश्चित करेगा।

5. घर और कुटुम्ब:

- किसी दिव्यांग बच्चे को दिव्यांगता के आधार पर उसके अभिभावकों से अलग नही किया जाएगा।
- यदि अभिभावक बच्चे की देखभाल करने मेंं अक्षम हैं तो सक्षम न्यायालय के आदेश पर बच्चे को निकटवर्ती रिश्तेदार के पास रखा जा सकता है और ऐसा न हो पाने पर कौटुम्बिक परिवेश वाले समुदाय में या किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सम्बद्ध सरकार या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित आश्रयस्थलों में रखा जाएगा।

6. प्रजनन का अधिकार:

- सम्बद्ध सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन की प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में समुचित जानकारी तक पहुँच हो।
- किसी भी दिव्यांगजन पर उसकी इच्छा या पूर्व सहमति के बिना कोई ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया नहीं की जाएगी, जिसका परिणाम अनुर्वरता (बाँझपन/नामर्दगी) होता हो।

7. मतदान और न्याय सम्बन्धी सुगम्यता का अधिकार:

- केन्द्र व राज्य निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केन्द्र निर्वाचन प्रक्रियाएं दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य हों।
- सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी न्यायिक तन्त्रों और न्यायिक व्यवस्थाओं इत्यादि तक दिव्यांगजन अपनी पहुँच के अधिकार का प्रयोग कर सकें।

8. सम्पत्ति का अधिकार:

- सरकार सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान स्वयं की या विरासती सम्पत्ति, चाहे वह स्थावर (जमीन-जायदाद) हो या जंगम (जैसे गाड़ी, पशु, धन-धान्य) पर अपना समुचित अधिकार रख सकें और अन्य वित्तीय मामलों के विषय में उन्हें पर्याप्त स्वतन्त्रता भी प्राप्त हो।
- सरकार यह भी निश्चित करेगी कि सभी दिव्यांग व्यक्तियों को बैंक ऋण एवं गिरवी और वित्तीय जमा के अन्य प्रारूपों/सुविधाओं तक पहुँच का अधिकार हो।

(2) शिक्षा

इस अधिनियम में दिव्यांगों की शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधान अनुभाग 16 से 18 और 31 तथा 32 के अन्तर्गत वर्णित हैं।

1. शिक्षण संस्थाओं के दायित्व:

- सरकार द्वारा मान्यता व सहायता प्राप्त सभी शिक्षण संस्थाएं दिव्यांग बच्चों के लिए बिना किसी भेदभाव के समावेशी शिक्षा प्रदान करने का भरसक प्रयास करेंगी।
- इन प्रयासों के अन्तर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

  क. विद्यालय के भवन, परिसर और वातावरण को सुगम्य बनाना;
  ख. बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना;
  ग. समुचित शैक्षिक प्रारूपों और सम्पर्क/सम्प्रेषण साधनों का उपयोग सम्भव बनाना;
  घ. विद्यालय आने-जाने के लिए आवश्यकतानुसार परिवहन सुविधाएं सुलभ कराना;
  ङ. पूर्ण समावेश के लिए उचित वातावरण तैयार कराना।

2. समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना:

इस अधिनियम के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ है एक ऐसी शिक्षा, जिसमें दिव्यांग एवं अन्य छात्र एक साथ पढ़ते एवं सीखते हैं और जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षण व अधिगम प्रणालियाँ उपलब्ध हों।

इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार समावेशी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए निम्न प्रयास करेगी:

- आवश्यक सर्वेक्षण संचालित करना;
- पर्याप्त संख्या में शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना;
- ब्रेल और सांकेतिक भाषा के शिक्षण तथा बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के अध्यापन मेंं प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त करना;
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरोंं पर वेतन पाने वाले और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना;
- संदर्भित दिव्यांग विद्यार्थियों को 18 वर्ष की आयु तक पुस्तकेंं व अन्य शिक्षण सामग्री और उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराना;
- आवश्यकतानुसार छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना;
- आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम व परीक्षा प्रणाली में संशोधन;
- दिव्यांगजनों के लिए प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम जारी रखना।

3. अन्य शैक्षिक प्रावधान:

- 6 से 18 वर्ष तक की आयु के हर दिव्यांग बच्चे को अपनी इच्छानुसार सामान्य विद्यालय या विशेष विद्यालय में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- हर सरकारी निकाय की जिम्मेदारी होगी कि वह 18 साल तक की आयु के प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थी के लिए अनुकूल वातावरण में नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे।

- उच्च शिक्षा के सभी सरकारी और सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थाओं में पाँच प्रतिशत स्थान संदर्भित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे।
- संदर्भित दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की संस्थाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु में पाँच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(3) कौशल विकास और रोजगार

इस विषय से सम्बद्ध अधिकारों की चर्चा अधिनियम के अनुभाग 19 से 23 और 33 से 37 में की गयी है। प्रमुख विवरण इस प्रकार है:

- व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए ऋण।
- मुख्य धारा के सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना और उनके लिए पृथक् विशेष कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहन देना।
- दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा निर्मित सामान के विक्रय में मदद करना।
- रोजगार के मामले में किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में दिव्यांगता के कारण कोई भेदभाव (Discrimination) न करना।
- दिव्यांग कर्मचारियों को समुचित सुविधाएं और अनुकूल वातावरण सुलभ कराना।
- सेवाकाल के दौरान दिव्यांगता होने पर व्यक्ति को पद से हटाया न जाना और न उसका पद घटाना।
- दिव्यांगता के आधार पर पदोन्नति में किसी तरह की बाधा न डालना।
- दिव्यांग कर्मचारी के लिए तैनाती (Posting) और तबादले (Transfer) के लिए अनुकूल नीतियाँ निर्धारित करना।
- हर सरकारी निकाय में समान अवसर नीति का निर्माण और उसे अधिसूचित करना।
- हर निकाय में दिव्यांग कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना, जिसमें उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं वर्णित हों।
- हर सरकारी निकाय में एक शिकायत निवारण अधिकारी की व्यवस्था हो, जो एक रजिस्टर में शिकायतें नोट करे और 15 दिनों में उनका निपटारा करे (यदि

शिकायतकर्त्ता इस अधिकारी के निर्णय से सन्तुष्ट न हो तो वह जिला समिति के पास भी जा सकता है)।

- एक विशेषज्ञ समिति द्वारा हर तीन वर्षों में ऐसे पदों को चिह्नित करना, जो संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हों और इस समिति में संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना।
- सभी सरकारी निकायों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए चार प्रतिशत पदों का आरक्षण, जिनमें एक प्रतिशत दृष्टिबाधा और अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए हो, एक प्रतिशत बधिर और अल्प श्रवण शक्ति वालों के लिए हो, एक प्रतिशत चलन दिव्यांगता के लिए हो, जिसके अन्तर्गत प्रमष्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन और तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण वाले हों, शेष एक प्रतिशत स्वपरायणता (Autism), बौद्धिक विकलांगता, सीखने की विशिष्ट विकलांगताओं, मानसिक रुग्णता एवं बहुदिव्यांगता (इसके अन्तर्गत बधिरांधता भी शामिल है) वाले हों। (आरक्षण सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए अनुभाग 34 देखें)।
- निजी क्षेत्र में नियोजकों को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि उनके कार्यबल का कम-से-कम पाँच प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों का हो।
- कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए:

  क. महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए कृषि व आवास के लिए भूमि आवंटन में पाँच प्रतिशत आरक्षण।

  ख. महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए निर्धनता उन्मूलन व विकास सम्बन्धी सभी योजनाओं में संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए पाँच प्रतिशत आरक्षण।

ग. रियायती दरों पर पाँच प्रतिशत तक भूमि आवंटन, जहाँ ऐसी भूमि का उपयोग दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ हेतु सेवाएं आरम्भ करने के लिए निर्माण कार्य में किया जाए।

(4) सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, पुनर्वास आदि सम्बन्धी अधिकार

अनुभाग 24 से 30 में दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, बीमा योजनाओं, पुनर्वास, अनुसंधान, संस्कृति व आमोद-प्रमोद तथा खेल-कूद गतिविधियों में भागीदारी जैसे अधिकारों की व्यवस्था की गयी है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

अपनी आर्थिक क्षमता व विकास की सीमाओं के भीतर, सम्बद्ध सरकार दिव्यांगजनों के लिए उनके समुचित जीवन-स्तर को बढ़ावा देने हेतु निम्न प्रयोजनों के लिए ऐसी विभिन्न योजनाएं व कार्यक्रम बनाएंगी, जिनमें दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सहायता का परिमाण अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा कम-से-कम 25 प्रतिशत अधिक हो:

क. सुरक्षित, स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना, जिनमें परामर्श सुविधाएं भी उपलब्ध हों।

ख. निराश्रित या जीविकारहित दिव्यांग व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के लिए आवास सुविधाएं।

ग. प्राकृतिक अथवा मानवीय आपात स्थितियों में सहायता।

घ. दिव्यांग महिलाओं के लिए आजीविका और बच्चों के पालन-पोषण के लिए सहायता।

ङ. सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था और स्वच्छता सम्बन्धी समुचित सुविधाएं।

च. निर्धारित आय सीमा तक के संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए उपकरणों, औषधियों व स्वास्थ्य सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराना।

छ. निर्धारित शर्तों पर दिव्यांगता पेंशन व बेरोजगारी भत्ता सुलभ कराना।

ज. अत्यधिक सहायता पर निर्भर संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए देखभाल करने वालों के लिए विशेष भत्ता।

झ. निर्धारित शर्तों पर व्यापक बीमा योजनाएं सुलभ कराना।

ञ. अधिसूचित पारिवारिक आय वाले संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में, नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराना।

ट. सभी अस्पतालों तक बाधामुक्त पहुँच की व्यवस्था कराना।

ठ. उपचार व देख-रेख में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देना।

ड. दिव्यांगता घटित होने के कारणों व उनके निदान हेतु अनुसंधान सम्बन्धी उपाय कराना।

ढ. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारियों, ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं व आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं तथा जनसाधारण में दिव्यांगता एवं उसकी रोकथाम सम्बन्धी जागरूकता उत्पन्न कराना।

ण. प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान व प्रसव उपरान्त माता व बच्चे की देखभाल के उपाय कराना।

त. दिव्यांगता की सहज पहचान के लिए वर्ष में एक बार सभी बच्चों की जाँच कराना।

थ. जीवन रक्षक आपात उपचार के लिए आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं सुलभ कराना।

द. दिव्यांग महिलाओं के लिए लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी देख-रेख।

सम्बद्ध सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर सभी दिव्यांगजनों के पुनर्वास, विशेषकर उनके स्वास्थ्य, शिक्षण और रोजगार के क्षेत्रों में आवश्यक कार्यक्रमों का संचालन करेंगी और गैर-सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी। पुनर्वास नीतियों का निर्धारण करते समय सम्बद्ध सरकार दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श करेंगी।

सम्बद्ध सरकार व्यक्तियों और संस्थाओं के माध्यम से ऐसे विषयों पर अनुसंधान व विकासात्मक गतिविधियों का संचालन करेंगी या कराएंगी, जो दिव्यांगजनों के

सशक्तिकरण हेतु आवश्यक हों। सम्बद्ध सरकार दिव्यांग कलाकारों और लेखकों को उनकी अभिरुचि और प्रतिभा के अनुरूप सहायता प्रदान करेगी। दिव्यांगता का इतिहास दिग्दर्शित करने वाले संग्रहालयों की स्थापना की जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए कला को सुगम्य बनाने का प्रयास होगा। स्काउटिंग, नृत्य, कला-कक्षाओं, पुलिस थानों में शिविरों और साहसिक गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी के लिए उपाय किये जाएंगे। संस्कृति सम्बन्धी सभी क्रियाकलापों में दिव्यांगजनों की पहुँच और सहभागिता के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और उनके लिए आमोद-प्रमोद केन्द्रों को बढ़ावा दिया जाएगा।

सभी सरकारें दिव्यांगजनों के खेल-कूद में सहभागिता के अधिकार को मान्यता देंगी और बढ़ावा देंगी। सभी खेल-कूद गतिविधियों में दिव्यांगजनों की पहुँच व भागीदारी निश्चित करने के उपाय किये जाएंगे। सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खेल-कूद गतिविधियों में रुचि, प्रतिभा व क्षमता विकसित करने हेतु आवश्यक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दिव्यांग व्यक्तियों के खेल प्रशिक्षण हेतु आधुनिक सुविधाएं विकसित करने हेतु धन आवंटित किया जाएगा। अलग-अलग दिव्यांगता सम्बन्धी खेल आयोजनों को बढ़ावा दिया जाएगा और विजयी खिलाड़ियों व अन्य भागीदारों को पुरस्कार व प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(5) उच्च सहायता की आवश्यकता वाले संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान--अनुभाग 38

इस अधिनियम में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिन्हें अपनी दिव्यांगता की अत्यधिक गम्भीरता के कारण उच्च सहायता की आवश्यकता होती हो। उच्च सहायता की परिभाषा अधिनियम के अनुभाग 2, खण्ड एल में दी गयी है। ऐसी सहायता के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित या गठित प्राधिकरण और निर्धारण बोर्ड को भेजा जाएगा और उनकी संस्तुति के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

(6) जागरूकता अभियान--अनुभाग 39

विभिन्न सरकारें दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनकी क्षमताओं के लिए आवश्यक जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित करेंगी। दिव्यांगों के लिए समावेशन, सहनशीलता, समानुभूति और विविधता के लिए आदर सम्बन्धी मूल्य इन कार्यक्रमों के मूल में होंगे। निम्न उद्देश्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे:

- दिव्यांगजनों के कौशल, गुणों, क्षमताओं और योगदानों की सूचना प्रसारित करना।
- पारिवारिक जीवन सम्बन्धी दिव्यांगजनों के निर्णयों का आदर करना।
- दिव्यांगता की मानवीय दशा और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक स्तर के प्रशिक्षण केन्द्रों में तथा नियोजकों, प्रशासकों और सहकर्मियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि स्कूलों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों के अधिकार सम्मिलित रहें।

(7) सुगम्यता--अनुभाग 40 से 46

केन्द्रीय सरकार, मुख्य आयुक्त के परामर्श से समुचित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तथा शहरी और ग्रामीण इलाकों में जनता को प्रदान की गयी सुविधाओं और सेवाओं सहित

भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और सम्पर्क तकनीकों के लिए सुगम्यता के मानकों का निर्धारण करेगी।

बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों तथा वहाँ उपलब्ध सुविधाओं, जैसे पार्किंग स्थान, टिकिट काउंटर, उपकरण आदि को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया जाएगा।

परिवहन के सभी प्रकारों तक पहुँच प्रदान कराने के लिए उपाय किये जाएंगे, जो दिव्यांगजनों के लिए सुविधानुकूल व सुगम्य हों।

सम्बद्ध सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि श्रव्य (ऑडियो), प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सभी सूचनाएं/सामग्री सुगम्य फॉर्मेट में उपलब्ध हों। इसके लिए श्रव्य वर्णन (Audio Description), संकेत भाषा और क्लोज्ड केपशनिंग जैसे सुगम्यता साधनों के जरिये दिव्यांगजनों की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सामग्री तक पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।

साथ ही, प्रतिदिन उपयोग वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपकरण सार्वभौमिक डिजाइन में उपलब्ध कराए जाने हेतु उपाय किये जाएंगे।

सम्बद्ध सरकार दिव्यांगजनों के सामान्य उपयोग के लिए सार्वभौमिक रूप से डिजाइन किये गये उपभोक्ता उत्पादों और उपसाधनों के विकास, उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने के लिए उपाय करेगी।

किसी निकाय को किसी भवन के निर्माण की मंजूरी नहीं दी जाएगी, यदि वह भवन केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुकूल न हो। किसी निकाय को तब तक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा या भवन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक वह केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गये नियमों का पालन न करता हो।

सम्बद्ध सरकार ऐसे उपाय करेगी कि अधिसूचना जारी होने की तारीख से 5 वर्षों के भीतर सरकार द्वारा तय किये गये नियमों के अनुसार सभी सार्वजनिक भवन सुगम्य बनाए जाएं। परन्तु केन्द्रीय सरकार राज्यों को इस उपबन्ध के पालन के लिए मामला-दर-मामला आधार पर उनकी तैयारी की अवस्था और अन्य सम्बन्धित पैमानों पर निर्भर रहते हुए समय-सीमा में विस्तार मंजूर कर सकेगी।

सेवा प्रदाता, चाहे सरकारी हों या प्राइवेट, अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गये नियमों के अनुसार सुगम्य सेवाएं प्रदान करेंगे। परन्तु केन्द्रीय सरकार मुख्य आयुक्त के परामर्श से सम्बद्ध नियमों के अनुसार कतिपय प्रवर्गों को सेवाएं प्रदान करने के लिए समय का विस्तार मंजूर कर सकेगी।

(8) मानव संसाधन विकास और सामाजिक लेखा

सम्बद्ध सरकार सुनिश्चित करेगी कि:

क. पंचायती राज सदस्यों, विधायकों, प्रशासकों, पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों, वकीलों, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापकों, क्रीड़ा शिक्षकों, चिकित्सकों, नर्सों, अर्धचिकित्सा कार्मिकों, सामाजिक कल्याण अधिकारियों, ग्रामीण विकास अधिकारियों, आशा कार्यकर्त्ताओं, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, इंजीनियरों, वास्तुविदों, अन्य कर्मचारियों और सामुदायिक कार्यकर्त्ताओं के लिए निर्धारित सभी शैक्षिक पाठ्यक्रमों में दिव्यांगता और दिव्यांग अधिकार सम्बन्धी विषय को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाए।

ख. परिवार के सदस्यों और देख-रेख करने वाले सहायकों के लिए समुचित मार्गदर्शन सुलभ कराया जाए।

ग. दिव्यांगजनों के लिए स्वतन्त्र रूप से रहन-सहन सम्बन्धी प्रशिक्षण सुलभ कराया जाए।

घ. सभी विश्वविद्यालयों में दिव्यांगता अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की जाए और इनमें दिव्यांगता शिक्षण और अनुसंधान जैसे विषयों पर कार्य को बढ़ावा दिया जाए।

सम्बद्ध सरकार, प्रत्येक पाँच वर्ष में आवश्यकता आधारित विश्लेषण करेगी और इस अधिनियम में विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए नियुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए योजनाएं बनाएगी।

सम्बद्ध सरकार दिव्यांगजनों को लाभ पहुँचाने वाली सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा-परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि योजना और कार्यक्रम दिव्यांगजनों की अपेक्षाओं और चिन्ताओं के अनुरूप हैं।

(9) दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का पंजीकरण प्रमाण-पत्र और ऐसी संस्थाओं को अनुदान

इस विषय से सम्बन्धित प्रावधानों की चर्चा अधिनियम के अनुभाग 49 से 55 में की गयी है।

राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारी को नियुक्त करेगी, जिसे इस विषय के प्रावधानों के लिए सक्षम प्राधिकारी होने के लिए ठीक समझे।

यदि कोई व्यक्ति दिव्यांगों के लिए कोई संस्था आरम्भ या संचालित करना चाहे तो उसके लिए उसे एक पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और इसके लिए सक्षम अधिकारी के पास आवेदन भेजना होगा। ऐसे अधिकारी के लिए इस आवेदन पर अपना निर्णय (स्वीकृति या अस्वीकृति) 90 दिनों के भीतर देना होगा।

जारी किये गये प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त होने से पूर्व उसके नवीनीकरण के लिए भी आवेदन करना होगा।

यदि प्रमाण-पत्र या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो सम्बद्ध अधिकारी इसके कारण लिखित रूप में सूचित करेगा और ऐसे आदेश से दुखी व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा तय की गयी अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।

राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

सम्बद्ध सरकार अपनी आर्थिक हैसियत और विकास की सीमाओं के भीतर पंजीकृत संस्थाओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी।

(10) संदर्भित दिव्यांगताओं का प्रमाणन

अधिनियम के अनुभाग 56 से 59 में इस विषय से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति में संदर्भित दिव्यांगता की सीमा के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी।

दिव्यांगता के प्रमाण और सत्यापन के लिए यह प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास इस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रमाण-पत्र या उसकी अस्वीकृति सम्बन्धी निर्णय एक मास के अन्दर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार जारी प्रमाण-पत्र सामान्यतया सभी उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए।

(11) अधिनियम के कार्यान्वयन और अधिकारों के संरक्षण पर निगरानी के लिए व्यवस्थाएं

इन व्यवस्थाओं का वर्णन अनुभाग 60 से 85 में किया गया है और ऐसी व्यवस्थाएं केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तर पर होंगी।

1. केन्द्रीय स्तर पर मुख्य आयुक्त (विकलांगता) और राज्य स्तर के आयुक्त (विकलांगता):

अनुभाग 74 से 83 में इन अधिकारियों की चर्चा की गयी है। केन्द्रीय स्तर पर एक मुख्य आयुक्त और उनकी सहायता के लिए दो आयुक्तों का प्रावधान है, जिनमें से एक आयुक्त स्वयं संदर्भित दिव्यांग होना चाहिए। साथ ही मुख्य आयुक्त के लिए 11 सदस्यों की एक सलाहकार समिति भी होगी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। मुख्य आयुक्त का पद केन्द्रीय सरकार के सचिव के समकक्ष होगा और आयुक्तों के पद अतिरिक्त सचिव के समकक्ष होंगे। कार्य अवधि तीन वर्षों की होगी। राज्य स्तर पर एक विकलांगता आयुक्त होगा और उसकी सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 5 सदस्यों की सलाहकार समिति होगी।

मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्तों के प्रमुख दायित्व होंगे:

क. अधिनियम और सम्बद्ध योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा;

ख. दिव्यांगजनों के अधिकारों की अवहेलना या भेदभाव सम्बन्धी शिकायतों की जाँच और जहाँ तक सम्भव हो, विरोधी पक्ष से नोटिस का उत्तर प्राप्त होने की तारीख से तीन महीनों के अन्दर शिकायतों का निबटारा;

ग. अधिनियम सम्बन्धी अन्य बातों की निगरानी।

मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्तों के आदेशों का पालन अनिवार्य तो नहीं है, किन्तु सामान्यतया उन्हें स्वीकार किया जाता है।

2. केन्द्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड:

अधिनियम के कार्यान्वयन पर परामर्श देने और क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु केन्द्र और राज्य-स्तरों पर सलाहकार बोर्डों का गठन किया जाएगा, जिनका उल्लेख अनुभाग 60 से 71 में किया गया है। केन्द्रीय बोर्ड में लगभग 100 सदस्य होंगे, जबकि राज्य-स्तरीय बोर्डों का आकार कुछ छोटा होगा। इन बोर्डों की अध्यक्षता दिव्यांगता सम्बन्धी मामलों का नेतृत्व करने वाले मन्त्री करेंगे। इनके सदस्यों में अन्य के अतिरिक्त दिव्यांगता क्षेत्र के 5 विशेषज्ञ और 10 ऐसे व्यक्ति होंगे, जो (जहाँ तक सम्भव हो) स्वयं संदर्भित दिव्यांग हों और दिव्यांगता क्षेत्र के प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हों। इन्हें सम्बद्ध सरकारें मनोनीत करेंगी और इनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। राज्य बोर्डों में बारी-बारी से पाँच जिलों के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत किया जाएगा।

3. दिव्यांगता पर जिला-स्तरीय निकाय:

राज्य सरकारें अधिसूचित कार्यों के निर्वहन हेतु प्रत्येक जिले में दिव्यांगता समिति का गठन करेंगी, जिनके ब्यौरे सम्बद्ध सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में अंकित होंगे। मामलों के त्वरित निबटान हेतु राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों पर कार्यवाही के लिए विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेंगी।

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए उस न्यायालय के मामलों के संचालन हेतु एक लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसीक्यूटर) की नियुक्ति

करेंगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को नियुक्त करेंगी, जो कम-से-कम सात वर्ष से लोक अभियोजक के रूप मेंं कार्य कर रहा हो या अधिवक्ता के रूप मेंं कार्यरत हो।

(12) दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि

इस प्रकार की निधि का उल्लेख अधिनियम के अनुभाग 86 और 88 में किया गया है। दिव्यांगों के लिए उपलब्ध विभिन्न कोषों और निधियों, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार बैंकों, निगमों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा देय धनराशियों, अनुदान, उपहार, दान, वसीयत आदि द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियों, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी धनराशियों को मिलाकर एक निधि अस्तित्व में आएगी, जिसे 'दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि' का नाम दिया जाएगा। इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी दिव्यांगजनों हेतु एक निधि का गठन होगा। इन दोनों निधियों के खातों की समुचित लेखा-परीक्षा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

(13) अपराध और दण्ड

इन प्रावधानों का वर्णन 89 अनुभाग से 95 अनुभाग में किया गया है। इनके अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में दण्ड की व्यवस्था की गयी है:

क. अधिनियम या विनियमों के प्रावधानों का ऐसा खुल्लमखुल्ला उल्लंघन, जिससे किसी दिव्यांग व्यक्ति को प्रत्यक्ष क्षति होती हो;

ख. कुछ परिस्थितियों में कम्पनियों द्वारा किसी प्रकार का उल्लंघन;

ग. संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित किसी लाभ को कपटपूर्वक प्राप्त करना;

घ. दिव्यांग व्यक्ति को खुले रूप से अपमानित करना या अपमानित करने के आशय से भयभीत करना; उस पर हमला करना या किसी प्रकार से उसका शोषण करना;

ङ. दिव्यांग महिला की शालीनता का घोर अपमान करना या लैंगिक रूप से शोषण करने के लिए अपनी स्थिति (स्टेटस) का दुरुपयोग करना।

उल्लेखनीय है कि अनुभाग 94 के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी पर ऐसे आरोप न्यायालय के समक्ष तभी लाए जा सकेंगे, जब उसके लिए सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

(14) पूर्व अधिनियम का निरस्तीकरण

अनुभाग 102 के अनुसार, वर्तमान अधिनियम द्वारा पूर्ववर्ती “विकलांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995” निरस्त हो गया है। फिर भी पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत किये गये किसी भी कार्य को वर्तमान अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधानों के अन्तर्गत/अनुरूप स्वीकार्य माना जाएगा।

अनुसूची--विनिर्दिष्ट दिव्यांगता

1. शारीरिक दिव्यांगता:

(अ) गति विषयक दिव्यांगता:

क. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति (लेप्रसी मुक्त);

ख. प्रमस्तिष्क घात (सेरेब्रल पाल्सी);

ग. बौनापन (147 से.मी. से कम लम्बाई वाले व्यक्ति);

घ. पेशीय दुष्पोषण (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी);

ङ. तेजाबी आक्रमण पीड़ित (एसिड अटैक विक्टिम)।

(आ) दृष्टि ह्रास:

क. अंधता (ब्लाइंडनेस);

ख. निम्न दृष्टि (लो-विजन)।

(इ) श्रवण शक्ति का ह्रास:

क. बधिर;

ख. ऊँचा सुनने वाला व्यक्ति (हार्ड ऑफ हियरिंग)।

(ई) वाक् एवं भाषा दिव्यांगता।

2. बौद्धिक दिव्यांगता:

(क) विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताएं (स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटीज);

(ख) स्वपरायण स्पेक्ट्रम विकार (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर)।

3. मानसिक व्यवहार या मानसिक रुग्णता।

4. निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता:

(क) चिरकारी तन्त्रिका दशाएं (क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस)--

i. बहु-स्केलेरोसिक (मल्टी-स्केलेरोसिस);
ii. पार्किंसन रोग।

(ख) रक्त विकृति (ब्लड डिस्ऑर्डरस)--

i. हेमोफीलिया;
ii. थेलेसीमिया;
iii. सिकल कोशिका रोग (सिकल सैल एनीमिया)।

5. बहु-दिव्यांगता।

6. कोई अन्य प्रवर्ग, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाएं।

****